न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) टाण्डा, अम्बेडकरनगर।

मूलवाद संख्या –21/17

मो० कामिल–––बनाम––– मो० मकसूद अहमद आदि

निस्तारण प्रार्थना पत्र 25 क 1

दिनांक–17.08.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 25 क 1 पेश है।

प्रार्थना पत्र 25 क 1 मय शपथ पत्र वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मृतक मकसूद के चार लड़के है जिनका नाम अब्दुल कुद्दुश, उबैद अहमद, जुबेर अहमद व असरार अहमद है। कायम मुकामी प्रार्थना पत्र देते समय सही नाम की जानकारी न होने की वजह से उबैद अहमद न लिखकर उबैद लिख उठा , इसी तरह जुबेर अहमद की जगह जुबैर अंकित हो गया तथा असरार अहमद की जगह इस्सू अंकित हो गया जिसका संशोधन किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त के प्रकाश में कायम मुकामी प्रार्थना पत्र में संशोधन करने की याचना वादी द्वारा की गयी है।

पूर्व मे आपत्ति आमन्त्रित की गयी थी किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है अतः प्रतिवादीगण का आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया जाता है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं० 25 क 1 प्रस्तुत कर कायम मुकामी प्रार्थना 19 क 1 में संशोधन करना चाहता है। प्रस्तुत संशोधन से प्रार्थना पत्र 19 क 1 के निस्तारण में सुगमता होगी। प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। उपरोक्त तथ्य परिस्थितियो में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज सं०–25 क 1 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र कागज सं०– 25 क 1 स्वीकार किया जाता है। वादी कायम मुकामी प्रार्थना पत्र 19 क 1 में आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 19 क 1 दिनांक 15.09.2021 को पेश हो।

(अजय कुमार मिश्र)
सिविल जज (जू०डि०)टाण्डा,
अम्बेडकरनगर।
जे०ओ० कोड यू०पी० 2520